



F-07-07

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
MARATHAHALLI COLONY P.O.,  
BENGALURU - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं. 1850/ Type Approval No. 1850**

मद/FOR ITEM: रबड़ 'ओ' रिंग्स – पार्ट सं. जीडी1801-8/एच

**Rubber 'O' Rings – Part No. GD1801-8/ H**

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऑवरहॉल प्रभाग, मेसर्स एच ए एल (बीसी), विमानपुरा पोस्ट, बेंगलूरु – 560 017 द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा फाउंड्री व फॉर्ज प्रभाग, मेसर्स एच ए एल (बीसी), पी.बी सं. 1786, विमानपुरा पोस्ट, बेंगलूरु – 560 017 द्वारा उत्पादित, डीटीडी 458ए ग्रूप बी, ग्रूप-1, (टीए सं. 770) के नार्इट्राइल बेस रबड़ कम्पाउंड (एचएएलटीआरआईएल-20) से बनाया हुआ "रबड़ 'ओ' रिंग", पार्ट सं. जीडी 1801-8/एच को आरेखन सं. जीडी 1801-8/एच, लेट:सी, दिनांक 07 जून 2011, के अनुसार किरण वायुयान के शटिल वाल्व में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (वायुयान) के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल सं. टीएस/ओ/डीएलई/केआरएन/120, दिनांक 20 मई 2011, के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

*This is to certify that the "Rubber 'O' Ring" bearing the Pt. No.: GD 1801-8/H made out of Nitrile base rubber compound (HALTRILE-20) of DTD 458A Gr.B Gr-1, (TA No. 770), Designed and Developed by Overhaul Division, M/s HAL(BC), Vimanapura post, Bengaluru – 560 017 and manufactured by Foundry & Forge Division, M/s HAL(BC), P.B No.1786, Vimanapura Post, Bengaluru – 560 017, is hereby approved for production as per Drawing No.: GD 1801-8/H, LET: 'C', Dt.: 07<sup>th</sup> June 2011, for use in Shuttle valve of Kiran Aircraft. It has been tested in co-ordination with RCMA (Aircraft) as per Test Schedule No.: TS/O/DLE/KRN/120, Dt.: 20<sup>th</sup> May 2011. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.*

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

*The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2019 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाए और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (वायुयान), से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2019 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Aircraft), for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.*

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.*

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

*This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1850

दिनांक/Date : 31 Dec 2014

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

31/12/14

  
पी जयपाल / P.JAYAPAL  
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)